

प्रेषक,  
विनय प्रकाश सिंह,  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

सेवा में,  
माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय,  
मेरठ।

विषय:- 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated 20-05-  
2020 एवं आपके आदेश दिनांकित 21.05.2020 के अनुपालन में आख्या प्रेषित  
किये जाने के संबंध में

महोदय,  
सादर अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, के

पत्रांक 1108 / LXXXVII-CPC/e-courts/Allahabad/Dated 20-05-  
2020 एवं आपके आदेश संख्या 113 दिनांकित 21.05.2020 के संबंध में मेरठ  
न्यायालय परिसर के रैड जोन/कन्टेनमेंट जोन के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट,  
मेरठ, से आख्या आहूत की गयी है, जो संलग्न कर माननीय महोदय की सेवा  
में प्रेषित की जा रही है।


आदर सहित।

भवदीय

दिनांक : 02.06.2020

(विनय प्रकाश सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

सलग्नक-उपरोक्तानुसार।  
प्रतिलिपि-श्रीमान नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर विभाग, जिला न्यायालय, मेरठ, को  
अनुपालन हेतु सादर प्रेषित।

  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,  
मेरठ।

प्रेषक

जिला मजिस्ट्रेट

मेरठ।

प्रेष्य

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

मेरठ।

संख्या- १५३/एसटी-नगर/कोविड-१९,

दिनांक- ०२ जून २०२०

विषय- भाननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांकित २०.५.२०२० के अनुपालन में मेरठ न्यायालय के परिसर रेड जौन/कन्टेनमेन्ट जौन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराये जाने विषयक।

महोदय

कृपया अपने पत्र दिनांकित २२.५.२०२० का संर्व ग्रहण करने का कष्ट करें। उपर्युक्त विषयक अधिगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-४०-३-२०२०-डीएम-१ (ए) दिनांक ३०.५.२०२० के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या-१३८२/२०२०/सीएक्स-३, दिनांक ३१.५.२०२० द्वारा कोविड-१९ महामारी की रोकथाम के सम्बन्ध में पूर्व से प्रभावी लॉक डाउन दिनांक ०१-०६-२०२० से दिनांक ३०-०६-२०२० तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं।

तत्क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय द्वारा पूर्व पारित आदेश संख्या-१४६५/ओ०एस०डी०-कैम्प/२०२०, दिनांक २१.५.२०२० द्वारा दिनांक १८.५.२०२० से दो सप्ताह के लिए बढ़ाई गयी लॉक डाउन की अवधि में सम्पूर्ण नगर निगम (नगर निगम बार्ड संख्या-०६, १०, २८ एवं ३१ के घोड़कर) एवं कैन्ट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड-१९ महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' घोषित करते हुए उक्त अवधि में नगर निगम एवं कैन्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down पूर्व की मात्रि जागू रहने के आदेश जारी किए गए थे।

उक्त के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय द्वारा अपने आदेश संख्या-१५३२/ओ०एस०डी०-कैम्प/२०२०, दिनांक ३१.५.२०२० के अन्तर्गत रूपूत्र किया गया है कि जनपद मेरठ में प्रतिदिन कोविड-१९ की जांच में धनात्मक मामले प्रकाश में आ रहे हैं। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-४०-३-२०२०-डीएम-१ (ए) दिनांक ३०.५.२०२० के क्रम में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या-१३८२/२०२०/सीएक्स-३, दिनांक ३१.५.२०२० पर विद्यार विमर्श कर अन्तिम आदेश पारित किए जायेंगे। जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय के उक्त आदेश में सम्पूर्ण नगर निगम एवं कैन्ट बोर्ड क्षेत्र की सीमा को कोविड-१९ महामारी को रोकने के लिए 'Containment Zone' के रूप में रहने की अवधि को अग्रिम आदेशों तक बढ़ाया गया है। उक्त अवधि में नगर निगम एवं कैन्ट बोर्ड क्षेत्र के अन्तर्गत Complete Lock Down की स्थिति अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेगी। पूर्व आदेश एवं उक्त आदेश की छायाप्रति अवलोकनार्थ संलग्न की जा रही है।

कृपया तदनुसार आख्या सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

महोदय,

(अजय कुमार तिवारी)

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)  
मेरठ।

प्रतिलिपि-

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ महोदय को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर)  
मेरठ।

गोपनीय जिला मणिरद्वे<sup>१</sup> गोरख

संख्या १५३२/गो०एस०डी०-कैमा/२०२०

दिनांक ३१-०५-२०२०

भूदेश

गृह मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा आदेश संख्या ४०-३-२०२०-डीएम-१ (ए) दिनांक ३०-५-२०२० के काम में लिये गये सौंचे उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या १३०२/२०२०/सीएस-३ दिनांक ३१-५-२०२० द्वारा पूर्वी सी प्रभागी लॉड लाउन दिनांक ०१-०६-२०२० से ३०-०६-२०२० तक प्रभागी रहने हेतु आदेश दिये गये हैं।

इस कार्यालय द्वारा पूर्वी नियंत्रित आदेश संख्या १४६६/गो०एस०डी०-डीएम/२०२० दिनांक २१-०५-२०२० द्वारा दिनांक १८-०५-२०२० से दो सप्ताह तक गोली लाग लाउन यी आविष्कार में सम्पूर्ण नगर निगम (गोनिया वाई नंख्या ०३.१०.२५.३१ मो छोखावार) एवं कैन्ट घोर्ड बोर्ड की सीमा यो घोषित-१९ गोलागारी को रोकने के लिए Containment Zone क्षेत्रिक कारबो हुए उत्तर अवधि में नगर निगम एवं कैन्ट घोर्ड बोर्ड की अन्तर्गत Complete Lock Down घोर्ड यी नोटि लागू रहने यो आदेश जारी किए गए हैं।

जनपद गोरख में प्रतिदिन घोषित-१९ की जोध गे धनालक गामले प्रकाश में आ रहे हैं। गृह मन्त्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या ४०-३-२०२०-डीएम-१ (ए) दिनांक ३०-५-२०२० के काम में गृह मन्त्रालय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या १३०२/२०२०/सीएस-३ दिनांक ३१-५-२०२० पर विधाय विभाव कर अन्तिम आदेश परिवर्त विधा जाएंगे। अतः सम्पूर्ण नगर निगम एवं कैन्ट घोर्ड बोर्ड की सीमा को घोषित-१९ महानगरी को रोकने के लिए Containment Zone के रूप में रहने की अवधि को अधिक आदेशी तक बढ़ाया जाता है। उक्त अवधि में नगर निगम एवं कैन्ट घोर्ड बोर्ड की अन्तर्गत Complete Lock Down की स्थिति अधिक आदेशी तक पहाड़ी रहेगी।

अनिल ठोगारा  
जिला मणिरद्वे<sup>१</sup> गोरख

प्रदान एवं दिनांक उपरीवलानुसार।

- १- गृह नियंत्रित ए० प० शासन, लखनऊ।
- २- प्रमुख नियंत्रित (मुख्यमन्त्री) ए० प० शासन, लखनऊ।
- ३- अपर गृह नियंत्रित, गृह, च० प० शासन, लखनऊ।
- ४- प्रमुख नियंत्रित (शासन) ए० प० शासन, लखनऊ।
- ५- आगुना, मेरठ मण्डल, मेरठ।
- ६- तरिक्त, शुलिस अधीक्षक, मेरठ यो इस आशय से प्रेषित कि सुपरीकर आदेशी का अकारण अनुचालन कारना सुनिश्चित यारी।
- ७- समस्त अपर जिला मणिरद्वे<sup>१</sup> जनपद, मेरठ।
- ८- पुलिस अधीक्षक-नगर/ग्रामीण बोर्ड, मेरठ।
- ९- नगर नियंत्रद्वे<sup>१</sup> / समस्त अपर नगर मणिरद्वे<sup>१</sup> / समस्त उप जिला मणिरद्वे<sup>१</sup>, मेरठ।
- १०- मुख्य नियंत्रिता अधिकारी, गोरख।
- ११- नगर आगुना, नगर निगम, मेरठ।
- १२- ग्रामीण कन्ट्राल स्टेशन, कलद्वे<sup>१</sup>, एन०आई०सी०, मेरठ।
- १३- जिला सूचना अधिकारी, गोरख।

अनिल ठोगारा  
जिला मणिरद्वे<sup>१</sup> गोरख

संखा: ४६५

भ०एस/डी०--कैम्प / 2020

आदेश

५. सम्बन्धीय भारत सरकार के आदेश संख्या ४०-३-२०२०-डीएम-१ (ए) दिनांक १७-५-२०२० चे तारीख मे पुत्र्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या ९२४ / २०२० / सीएस-३ दिनांक १८-५-२०२० द्वारा कोविड-१९ नहामारी की रोकथाम के सम्बन्ध मे देशव्यापी लॉकडाउन दिनांक १८-५-२०२० रो डिनांक ३१-५-२०२० तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध मे १८-५-२०२० रो डिनांक ३१-५-२०२० तक प्रभावी रहने हेतु आदेश दिए गए हैं। इस सम्बन्ध मे जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के सार पर विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों, व्यापार संघ के प्रदातिकारियों आदि से विचार विमर्श कर लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक ३१-५-२०२० तक विनियमित दिशा निर्देश पारित किए जाते हैं-

तक विनियमित दिशा निर्देश पारित किए जाते हैं-

१- जनपद मेरठ फे कन्टेनमेन्ट जोन को छोड़कर समस्त शेत्रों मे ऐस्टोरेन्ट/ बिटार्ड की दुकान रो होम डिलीवरी अनुमत्य होगी।

२- साथ ७.०० बजे से सुबह ७.०० बजे तक किसी भी व्यक्ति, याहन आदि का आवागमन (आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर) पूर्णतः निषिद्ध होगा।

३- ६५ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति/एक से अधिक अन्य योग्यतारियों से ग्रसित क्षेत्र, गर्भवती वहिला और १० वर्ष की आयु से नीचे वयस्तों का (स्वास्थ सम्बन्धी आवश्यकताओं को छोड़कर) बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

४- नगर पालिकाओं/नगर पंचायतों सहित ग्रामीण क्षेत्र मे कन्टेनमेन्ट जोन से बाहर औद्योगिक गतिविधियों के संचालन की अनुमति Incident Commander द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन निर्गत हो जायेगी, जिसमें अमिकों को नान-कन्टेनमेन्ट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस०ओ०पी० के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका अन्य-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी।

५- नगर निगम, मेरठ के कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों (पैकेजिंग निर्माता इकाइयों लहित) मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ की अध्यक्षता वाली कमेटी द्वारा नियमानुसार शर्तों के अधीन चरणबद्ध सरीके से निर्गत की जायेगी, जिसमें अमिकों को नान-कन्टेनमेन्ट क्षेत्र से ही फैक्ट्री के अन्दर कार्य करने की अनुमति होगी। सोशल डिस्टेन्स सम्बन्धी एस०ओ०पी० के समस्त नियमों का पालन किया जायेगा, जिसका अन्य-समय पर निरीक्षण किया जायेगा। शर्तों का पालन न करने पर वैधानिक एवं सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। ईवट्रीयों अपने-अपने क्षेत्रफल के आधार पर ही अमिकों को कार्य पर बुलायेंगी।

६- बारातधर खोले जायेंगे, लेकिन शादी से पूर्व सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक हीगी तथा इसमें २० लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी।

७- अस्थाई सब्जी मण्डी की व्यवस्था पूर्व की भौति जागृति विहार सैकटर-३ मे यथावत रहेगी।

८- कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर प्रिटिंग प्रेस एवं ड्राइशलीनर की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी।

९- सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी व्यक्ति दिना कंस मारक/ काथर के बाहर नहीं निकलेंगे।

१०- समस्त सामाजिक/ राजनीतिक/ सारकृतिक/ धार्मिक/ अन्य सामुहिक गतिविधियों पूर्णतः निषिद्ध रहेगी।

राजनीति व्यापक स्थल / पूजा रथल / धार्मिक जुलूस आदि पूर्णतः निषिद्ध रहेंगे।

१२- कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर कृषि उपकरण एवं कृषि आवश्यकताओं से सम्बन्धित वस्तुओं के बाय/विक्रय करने की अनुमति होगी एवं अपर मुख्य संधिय, मृह (गोपन) अनुमान-३ के पत्र संख्या ३२३/२०२०-सीएक्स-३ दिनाक २८-४-२०२० के छम में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर ईंट-भट्टा रसायन में परिवहन/ईंट विकी परिवहन की अनुमति दी गयी है। अतः इस छम में ईंट भट्टा रसायनकों को उनके लाई-स्थल तक जाने की अनुमति रहेगी।

१३- लहरील मुख्यालय रत्तर पर, नगर पालिका एवं नगर पंचायत क्षेत्रों में निर्णय लेने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी अधिकृत होगे एवं इन्हें Incident Commander नामित किया जाता है।

१४- मुख्य संधिय, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के आदेश संख्या ९२४/२०२०/सीएक्स-३ दिनाक १८-५-२०२० द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कन्टेनमेन्ट जोन की सूची रखलान है।

१५- यदि किसी के द्वारा भी लाक डाउन के सम्बन्ध में शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का उलंघन किया जाता है तो सम्बन्धित के विरुद्ध उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम-२००५ की धारा-५१ से ६० एवं आई०पी०सी० की धारा-१४४ एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

उक्त आदेश लक्ष्याल प्रभावी होगा।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

२१/५  
~~(अजय साहनी)~~

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

२१/५/२०२०  
~~(अनिल ढीगरा)~~

जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ।

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-

- १- प्रमुख संधिय, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ/नोडल अधिकारी, जनपद मेरठ।
- २- आयुक्त, मेरठ नगर, मेरठ।
- ३- अपर पुलिस नहानिदेशक, मेरठ।
- ४- पुलिस नहानिदेशक, मेरठ।
- ५- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- ६- नगर आयुक्त, नगर निगम, मेरठ।
- ७- समस्त अपर जिला नजिस्ट्रेट, जनपद मेरठ।
- ८- पुलिस अधीक्षक-नगर/यामीण क्षेत्र, मेरठ।
- ९- नगर नजिस्ट्रेट/समस्त अपर नगर नजिस्ट्रेट/समस्त उप जिला नजिस्ट्रेट, मेरठ।
- १०- मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
- ११- उपायुक्त उद्योग, मेरठ।
- १२- उप निदेशक, कृषि/जिला कृषि अधिकारी, मेरठ।
- १३- समस्त कार्यालयध्यक्ष, जनपद मेरठ को अनुपालनार्थ प्रेषित।
- १४- प्रभारी कन्ट्रोल लन्, कल्पट्रेट, एन०आई०सी०, मेरठ।
- १५- जिला सूचना अधिकारी, मेरठ।

२१/५  
~~(अजय साहनी)~~

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ।

२१/५/२०२०  
~~(अनिल ढीगरा)~~

जिला नजिस्ट्रेट, मेरठ।

कन्टेनमेन्ट क्षेत्र की सूची (जनपद मेरठ)

क्र.सं.	कन्टेनमेन्ट क्षेत्र
1	समस्त नगर निगम एवं कैन्टोमेन्ट बोर्ड (नगर निगम वार्ड संख्या 06,10,28,31 को छोड़कर)
2	करवा सिवाल खास, तहसील सदर मेरठ(थाना जानी)
3	ग्राम नारेगपुर ब्लाक रोहटा(थाना रोहटा)
4	ग्राम पूढ़ा, (थाना टी०पी०नगर)
5	ग्राम रोहटा, पुराना डाकखाना बड़ी मसिजद के पास, बड़ौत रोड मेरठ(थाना रोहटा)
6	मौहल्ला करसावान, सरधना, मेरठ(थाना सरधना)
7	ग्राम जलालपुर, हरितनापुर, मेरठ(थाना हरितनापुर)
8	नगर पंचायत बहसूमा, जनपद मेरठ (थाना बहसूमा)
9	ग्राम पनवाड़ी, विकास खण्ड दौराला, मेरठ(थाना दौराला)
10	ग्राम अलराडा, खरखौदा(खरखौदा )